संख्या-1194/2025/574/22-2-2025-17(614)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार तिवारी उर्फ मोनू पुत्र श्री गौरीशंकर, निवासी-जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-4040/प्रो०अनु0(2)-286/2025 (बैठक दिनांक-21.01.2025), दिनांक 30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार तिवारी उर्फ मोनू पुत्र श्री गौरीशंकर, जो 610-सी, बर्रा-06, थाना-नौबस्ता, जनपद-कानपुर नगर, वर्तमान पता-627/6 न्यू विमान नगर शिवपुरी, थाना-चकेरी, जिला-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 25.07.2001 को अभियुक्त ने 02 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर जमीन के बटवारे को लेकर तमंचा से 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-304, 305/02 भा0द0वि0 की धारा-302, व 25 आयुध अधि0 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-4, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 19.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.12.2018 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 16.01.2025 तक अपरिहार 23 वर्ष, 05 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष, 05 माह, 12 दिन की सजा भोग ली गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 16.01.2025 तक 43 वर्ष 09 माह 26 दिन है।

3- पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनाक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में आता है (2) बंदी पुनः अपराध कर सकता है। (3) बंदी पुन: अपराध करने में सशक्त है। (4) बंदी की समाजिक व आर्थिक दशा समान्य होने की आख्या का अंकन करते हुये बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 25.07.2001 को अभियुक्त ने 02 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर जमीन के बटवारे को लेकर तमंचा से 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में रोष व तनाव व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडने पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी0सी० की धारा-432 द०प्र०स० के अन्तर्गत सिद्धदोष विनय कुमार तिवारी उर्फ मोनू पुत्र गौरीशंकर को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विनय कुमार तिवारी उर्फ मोनू (बन्दी संख्या-17366) पुत्र श्री गौरीशंकर, निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1194/2025/574(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in